मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2010—माघ 16, शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-664-आयएएस-लीव-एक-5 .—(1) श्रीमती मधु हाण्डा, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 18 से 23 जनवरी 2010 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती मधु हाण्डा की अवकाश की अवधि में श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

(3) इस विभाग के आदेश दिनांक 6 जनवरी 2010 द्वारा श्रीमती विजया श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग की दिनांक 18 से 22 जनवरी 2010 तक पांच दिन के अर्जित अवकाश अवधि में उनके पद का चालू प्रभार श्रीमती मधु हाण्डा, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा गया था. श्रीमती मधु हाण्डा के अर्जित अवकाश पर जाने के कारण प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के अवकाश अवधि में उनके पद का कार्य श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को सौंपा जाता है.

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु हाण्डा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्रीमती मधु हाण्डा द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहन्ती, आयुक्त सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी तथा पदेन सचिव, आयुष विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्रीमती मधु हाण्डा को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु हाण्डा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्र. ई. 1-51-2009-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 नवम्बर, 2009 जिसके द्वारा श्री शोभित जैन, भाप्रसे (2000), अपर आयुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा की सेवायें, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक, जनगणना कार्य, मध्यप्रदेश के पद पर सौंपी गई थीं, एतद्द्वारा निरस्त किया जाकर श्री शोभित जैन को पूर्ववत अपर आयुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. 5-562-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस, कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद को दिनांक 5 से 11 फरवरी 2010 तक,सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश की अवधि में डॉ. पुखराज मारू, आयएएस, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया, द्वारा कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. पुखराज मारू, कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. एफ-19-01-2010-एक-4.—मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन विषय पर कार्य करने के लिये राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-19-143-2007-एक-4, दिनांक 13 नवम्बर 2007 के माध्यम से एप्को को राज्य नोडल इकाई का दायित्व सौंपा गया है. जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित एप्को-यू.एन.डी.पी. परियोजना के सफल संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा Project Steering Committee (PSC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास.	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं जैव विविधता.	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, जल संसाधन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास.	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण	सदस्य
9.	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	सदस्य
10.	सचिव, ऊर्जा	सदस्य
11.	असिस्टेंट कंट्री डायरेक्टर, यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली.	सदस्य
12.	कार्यपालन संचालक, (एप्को-यू.एन.डी.पी. परियोजना संचालक).	सदस्य संयोजक.

(2) समिति का उद्देश्य परियोजना में अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना, नीतिगत, मार्गदर्शन प्रदान करना एवं परियोजना की समीक्षा करना है. समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. साहू, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-801-आयएएस-लीव-5-1.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को लघुकृत अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 5 से 31 अक्टूबर 2009 तक, सत्ताईस दिन (लघुकृत अवकाश).
2. दिनांक 16 से 27 नवम्बर 2009 तक, बारह दिन (लघुकृत अवकाश).

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-779-आयएएस-लीव-पांच-1.—(1) श्री रामकिंकर गुप्ता, आयएएस., सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2009 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये, अब उन्हें दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2009 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 27, 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2009 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-409-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस, सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2009 द्वारा दिनांक 15 से 25 जनवरी 2010 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. एफ-3-9-2009-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये पंचायत मतदान हेतु क्रमश: सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010, गुरुवार दिनांक 21 जनवरी 2010 तथा रविवार दिनांक 24 जनवरी 2010 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा पराक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881(1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. साहू, अपर सचिव.

परिशिष्ट

पंचायत आम निर्वाचन 2009

मतदान हेतु जिले की त्रि-स्तरीय पंचायतों की विकासखण्ड एवं चरणवार जानकारी

क्र	जिला	प्रथम चरण		द्वितीय चरण		तृतीय चरण	
		क्र.	विकासखण्ड/ जनपद पंचायत का नाम	क्र.	विकासखण्ड/ जनपद पंचायत का नाम	क्र.	विकासखण्ड/ जनपद पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मुरैना	1	मुरैना	1	जौरा	1	कैलारस
		2	पोरसा	2	पहाड़गढ़	2	सबलगढ़
		3	अम्बाह				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	श्योपुर	4	श्योपुर	3	विजयपुर	3	कराहल
3	भिण्ड	5	लहार	4	गोहद	4	भिण्ड
		6	रौन (मिहोना)	5	मोहगांव	5	अटेर
4	ग्वालियर	7	डबरा	6	भितरवार	6	मुरार
						7	घाटीगांव (बर्रई)
5	शिवपुरी	8	पिछोर	7	कोलारस	8	शिवपुरी
		9	खनियाधाना	8	बदरवास	9	करेरा
				9	पोहरी	10	नरवर
6	दतिया	10	दतिया	10	सेवढ़ा	11	भाण्डेर
7	गुना	11	गुना	11	बमोरी	12	चांचोड़ा
		12	आरोन	12	राघोगढ़		
8	अशोक नगर	13	ईसागढ़	13	मुंगावली	13	अशोकनगर
		14	चन्देरी				
9	मन्दसौर	15	गरोठ	14	मल्हारगढ़	14	मन्दसौर
		16	भानपुरा	15	सीतामउ		
10	नीमच	17	नीमच	16	जावद	15	मनासा
11	रतलाम	18	रतलाम	17	जावरा	16	सैलाना
		19	पिपलौदा	18	आलोट	17	बाजना
12	शाजापुर	20	शाजापुर	19	कालापीपल	18	शुजालपुर
		21	मोमन बड़ोदिया	20	बड़ोद	19	आगर
				21	नलखेड़ा	20	सुसनेर
13	उज्जैन	22	उज्जैन	22	महिदपुर	21	बड़नगर
		23	तराना	23	घटिया	22	खाचरोद
14	देवास	24	देवास			23	बागली
		25	सोनकच्छ			24	कन्नोद
		26	टोंकखुर्द			25	खातेगांव
15	राजगढ़	27	नरसिंहगढ़	24	ब्यावरा	26	राजगढ़
		28	सारंगपुर	25	जीरापुर	27	खिलचीपुर
16	सीहोर	29	सीहोर	26	आष्टा	28	बुदनी
		30	इछावर			29	नसरुल्लागंज
17	विदिशा	31	विदिशा	27	सिरोंज	30	बासौदा
		32	ग्यारसपुर	28	नटेरन	31	कुरवाई
		33	लटेरी				
18.	भोपाल	34	फन्दा	29	बेरसिया		
19	रायसेन	35	सांची	30	सिलवानी	32	बाड़ी
		36	गैरतगंज	31	उदयपुरा	33	औबेदुल्लागंज
		37	बेगमगंज				
20	बैतूल	38	बैतूल	32	चिचोली	34	आमला
		39	घोड़ाडोंगरी	33	मुलताई	35	भीमपुर
		40	प्रभातपट्टन	34	शाहपुर	36	आठनेर
		41	भैंसदेही				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	होशंगाबाद	42	बनखेड़ी	35	सोहागपुर	37	सिवनीमालवा
		43	पिपरिया	36	बाबई	38	होशंगाबाद
		44		37	केसला		
22	हरदा	45	हरदा	38	टिमरनी	39	खिरकिया
23	झाबुआ	46	झाबुआ	39	पेटलावद	40	थांदला
		47	रानापुर	40	रामा	41	मेघनगर
24	अलीराजपुर	48	उदयगढ़	41	भाभरा	42	अलीराजपुर
		49	जोबट	42	कट्ठीवाड़ा	43	सोण्डवा
25	इन्दौर	50	देपालपुर	43	इन्दौर	44	सांवेर
				44	अम्बेडकर नगर (महू)		
26	धार	51	धार	45	मनावर	45	बाग
		52	नालछा	46	गंधवानी	46	कुक्षी
		53	तिरला	47	उमरवन	47	डही
		54	सरदारपुर	48	धरमपुरी	48	निसरपुर
		55	बदनावर				
27	खरगौन	56	खरगौन	49	कसरावद	49	महेश्वर
		57	गोगावा	50	भीकनगांव	50	बड़वाह
		58	सेगावा	51	झिरन्या		
		59	भगवानपुरा				
28	बड़वानी	60	बड़वानी	52	राजपुर	51	सेंधवा
		61	पाटी	53	ठीकरी	52	निवाली
						53	पानसेमल
29	खण्डवा	62	खण्डवा	54	पंधाना	54	हरसूद
		63	पुनासा	55	छैगांवमाखन	55	बलड़ी
						56	खालवा
30	बुरहानपुर	64	बुरहानपुर	56	खकनार		
31	टीकमगढ़	65	टीकमगढ़	57	जतारा	57	पृथ्वीपुर
		66	बल्देवगढ़	58	पलेरा	58	निवाड़ी
32	छतरपुर	67	बिजावर	59	छतरपुर (ईशानगर)	59	नौगांव
		68	बड़ामलहरा	60	राजनगर	60	लौड़ी
		69	बक्सवाहा			61	बारीगढ़ (गौरीहार)
33	पन्ना	70	पन्ना	61	शाहनगर	62	गुनौर
		71	अजयगढ़			63	पवई
34	सागर	72	बीना	62	सागर	64	रहली
		73	खुरई	63	मालथौन	65	देवरी
		74	राहतगढ़	64	शाहगढ़	66	बण्डा
		75	जैसीनगर	65	केसली		
35	दमोह	76	दमोह	66	जबेरा	37	हटा
		77	पथरिया	67	तेंदूखेड़ा	68	पटेरा
						69	बटियागढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	जबलपुर	78	कुण्डम	68	पनागर	70	जबलपुर
		79	पाटन	69	मझौली	71	शहपुरा
		80	सिहोरा				
37	कटनी	81	रीठी	70	कटनी	72	बड़वारा
		82	बहोरीबंद	71	ढीमरखेड़ा	73	विजयराघोगढ़
38	नरसिंहपुर	83	नरसिंहपुर	72	करेली	74	चीचली
		84	गोटेगांव	73	चावरपाठा	75	साईखेड़ा
39	छिंदवाड़ा	85	छिंदवाड़ा	74	तामिया	76	सौंसर
		86	मोहखेड़	75	हर्रई	77	पांढुरना
		87	जुन्नारदेव	76	चौरई	78	अमरवाड़ा
		88	परासिया	77	बिछुआ		
40	सिवनी	89	केवलारी	78	लखनादौन	79	सिवनी
		90	कुरई	79	धनोरा	80	बरघाट
		91	घंसौर			81	छपारा
41	मण्डला	91	मण्डला	80	बिछिया	82	निवास
		92	मोहगांव	81	नैनपुर	83	नारायणगंज
		93	घुघरी	82	मवई	84	बीजाडांडी
42	डिण्डोरी	94	डिण्डोरी	83	बजाग	85	अमरपुर
		95	समनापुर	84	करंजिया	86	शहपुरा
						87	मेहंदवानी
43	बालाघाट	96	किरनापुर	85	बालाघाट	88	वारासिवनी
		97	लांजी	86	लालबर्रा	89	कटंगी
		98	बिरसा	87	बैहर	90	खेरलांजी
				88	परसवाड़ा		
44	रीवा	99	रीवा	89	हनुमना	91	सिरमौर
		100	रायपुर कुर्चुलियां	90	नईगढ़ी	92	जवां
		101	मऊगंज	91	गंगेव	93	त्योंथर
45	सतना	102	सोहावल	92	मझगवां	94	अमरपाटन
		103	नागौद	93	मैहर	95	रामपुरबघेलान
		104	रामनगर			96	उचेहरा
46	शहडोल	105	ब्योहारी	94	सोहागपुर	97	बुढ़ार
		106	जयसिंहनगर	95	गोहपारू		
47	अनूपपुर	107	पुष्पराजगढ़	96	कोतमा	98	जैतहरी
				97	अनूपपुर		
48	उमरिया	108	करकेली	98	मानपुर	99	पाली
49	सीधी	109	रामपुरनैकिन	99	सिंहावल	100	सीधी
		110	मझौली	100	कुसमी		
50	सिंगरौली	111	चितरंगी	101	बैढ़न	101	देवसर
	योग	111		101		101	

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-3-09-ए-सोलह.—लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व कारखाना मजदूर संगठन (एटक) इंदौर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक, महाप्रबंधक/कारखाना प्रबंधक, लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न है.

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं उक्त विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभवनीय नहीं है,

अतएंव, अब, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतन में वृद्धि कर श्रेणीवार वार्षिक वेतनवृद्धि दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

2. क्या श्रमिकों/कर्मचारियों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता, शिक्षा भत्ता एवं धुलाई भत्ता दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिये?

3. क्या कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को वर्ष में एक जोड़ी यूनिफार्म व शूज दिये जाने का औचित्य है?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये?

क्र. एफ. 6-3-09-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करता है कि इंदौर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट कारखाना मजदूर संगठन इंदौर (एटक) एवं लखानी फुट केयर प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम. पी. आई. आर./09

No. F-6-3-09-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Sub section (5) of section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute between Karkhana Mazdoor Sanghthan, Indore (AITUC) and lakhani Footcare Pvt. Ltd. Indore in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below reffered to the Conciliator for the Local area of Indore.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1/MPIR/09.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. सिंह, उपसचिव.

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. एफ. 23-15-2007-पैंतीस.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1894 का सं. 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित पशु चिकित्सकों (वेटेनरी डॉक्टर) को पशु चिकित्सा परिषद, मध्यप्रदेश के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

1.	डॉ. बी. के. दबे	एल.-197, भारती निकेतन, चेतक ब्रिज के पास, गोविन्दपुरा, भोपाल.
2.	डॉ. अनिल शर्मा	ई 109/07, शिवाजी नगरं, भोपाल
3.	डॉ. विनोद देशमुख	पशु चिकित्सालय, हथाईखेड़ा, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज गोयल, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2009

क्र. एफ-23-15-2007-पैंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-23-15-2007-पैंतीस, दिनांक 22 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. शर्मा, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd January 2010

No. F-23-15-2007-XXXV.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 32 of the Indian Veterinary Council ACT 1984 (No. 52 of 1984), the State Government hereby nominate the following Veterinary Doctors as members of Veterinary Council Madhya Pradesh, namely :—

1.	Dr. B. K. Dave	L/197, Bharti Niketan, Near Chetak Bridge, Govindpura, Bhopal
2.	Dr. Anil Sharma	E 109/07 Shivaji Nagar, Bhopal
3.	Dr. Vinod Deshmukh	Govt. Veterinary Hospital, Hataikheda, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ GOYAL, Principal Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

फा. क्र. 1(बी)1-05-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 अगस्त 2005 द्वारा नियुक्त निम्न शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर के कार्यालय में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 1 सितम्बर 09 से कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

1. श्री राजेश त्रिवेदी, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.
2. श्री रूप सिंह यादव, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.
3. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.
4. श्री एम. डी. अवस्थी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2009 से 31 अगस्त 2012 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के कार्यकाल की अवधि छः माह से कम रहने के कारण निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों के उप निर्वाचन मण्डी समितियों के सामान्य निर्वाचन तक की कालावधि के लिये स्थगित करता है :—

1. कृषि उपज मण्डी समिति, भिण्ड, जिला भिण्ड
2. कृषि उपज मण्डी समिति, शाढ़ोरा, जिला अशोकनगर
3. कृषि उपज मण्डी समिति, हरदा, जिला हरदा
4. कृषि उपज मण्डी समिति, पोहरी, जिला शिवपुरी
5. कृषि उपज मण्डी समिति, श्यामपुर, जिला सीहोर
6. कृषि उपज मण्डी समिति, पोरसा, जिला मुरैना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 28 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2010

No. D-5-56-04-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Section 57-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973), the State Government, postpone the by-election of the following Market Committees due to remaining term of less than six months from general election, upto the period of forthcoming general election (Mandi) :—

1. Mandi Committee, Bhind, District Bhind
2. Mandi Committee, Shadora, District Ashok Nagar
3. Mandi Committee, Harda, District Harda
4. Mandi Committee, Pohari, District Shivpuri
5. Mandi Committee, Shyampur, District Sehore
6. Mandi Committee, Porsa, District Morena

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2010

क्र. एफ-11-4-2005-तीस.—राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी 2006 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.

अतएव, राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:—

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का नाम	राज्यस्तरीय क्षेत्र जो संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्र सीमांक (हेक्टयर)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	अडवारा पुल	801 रास्ता	0.166	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	सुंदरशाह का महल	304	0.257	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	नौने जू की हवेली	637	0.053	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	फसियाने की हवेली	557/1/3अ	1.214	रामचरण तनय भुजबल लोधी इत्यादि.	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	जुझार सिंह का महल	466 0405 आबादी पुरातत्व विभाग	2.663	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	तोपची का हवेली	733/6	100	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	गुसाई का मठ	468/2	1.339	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	हाथी साव का महल	455/15	10.131	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	सुपारी साव का महल	455/15	10.131	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	भगवंतराव की हवेली	455/15	10.131	म. प्र. शासन	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	निमाड़ी	ओरछा	पं. हरिराव व्यास की हवेली.	455/15	10.131	म. प्र. शासन	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीना वर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 39, 47, 72 और 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"39	हरदा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश	श्री संजय कुमार जैन (सीनियर), प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा के अतिरिक्त न्यायाधीश.
47	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 8, जबलपुर.	श्री राजीव कुमार सिंह, सप्तम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर.
72	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) जावरा.	श्री महेन्द्र कुमार जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), जावरा.
94	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.	श्री देवराज बोहरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 6th October 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part1 dated 16th October 2009, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 39, 47, 72 and 94 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"39	Harda	Additional Judge to the Court of 1st Additional Sessions Judge Harda.	Shri Sanjay Kumar Jain (Sr.), Additional Judge to the Court of 1st Additional Sessions judge, Harda.
47	Jabalpur	Additional Sessions Judge Special Court No.8, Jabalpur	Shri Rajeev Kumar Singh, VIIth Additional Sessions Judge, Jabalpur.
72	Ratlam	Additional Sessions Judge (Fast Track Court) Jaora	Shri Mahendra Kumar Jain, IInd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) Jaora
94	Shivpuri	Additional Sessions Judge Pichhore	Shri Devraj Bohre Additional Sessions Judge, Pichhore.".

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-

ब (एक), दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 39, 47, 72 और 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की प्रादेशिक अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
"39	हरदा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हरदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला हरदा का विद्युत क्षेत्र
47	जबलपुर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 8, जबलपुर.	जबलपुर पश्चिम संभाग के ग्रामीण क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र.
72	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट) जावरा.	जावरा, आलोट और सेलाना का विद्युत क्षेत्र
94	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर	पिछोर और खनियाधाना का विद्युत क्षेत्र.".

टिप्पणी.—(1) विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

(2) *विशेष न्यायालय का वित्तीय भार ऊर्जा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 6th October 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part 1, dated 16th October 2009, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 39, 47, 72 and 94 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No. (1)	Name of Civil District (2)	Special Court (3)	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area) (4)
"39	Harda	Additional Judge, to the Court of 1st Additional Sessions Judge Harda.	Electricity area of Civil District, Harda
47	Jabalpur	*Additional Sessions Judge Special Court of No.8, Jabalpur.	Electricity area of West Division Rural area of Jabalpur.
72	Ratlam	Additional Sessions Judge, (Fast Track Court) Jaora.	Electricity area of Jaora, Alot and Sailana
94	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichhore.	Electricity area of Pichhore and Khaniyadhana.".

Note:—(1) The pending cases of the Special Court be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

(2) *Financial burden of the Special Court shall be borne by the Energy Department.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जनवरी 2010

क्र. क-145-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	बीना	महूटा	37/1	1.01	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना.	भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड की जल प्रदाय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बीना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	बंडा	जगथर	1165	0.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.	जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-147-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	बंडा	जमुनिया	1	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.	जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यक है—जगथर जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बंडा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 22 जनवरी 2010

प्र.क्र.-1अ-82 वर्ष-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न की गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	रहली	हरदौट, प.ह.नं. 24.	137/1 137/3 137/4	1.37 में से 0.07	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, संभाग, सागर.	गढ़ाकोटा रहली मार्ग के कि.मी. 8/4 कैथ नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

नोट—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रहली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र.-05-अ-82-2009-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	गुर्री	15.604	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु ग्राम गुर्री की भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 13 जनवरी 2010

प्र. क्र.-2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—सीहोर
(ग) ग्राम/ग्राम—रायपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.529 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर मे से	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1/2 ख	0.291
2/1/2 ग	0.388
2/1/4	0.397
2/1/3	0.227
2/1/5	0.429
2/4	0.162
21	0.073
156/21/1	0.235
162/21	0.093
18/2	0.040
156/21/3	0.194
योग :	2.529

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रायपुर तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्र.-140-भू-अर्जन-सांवेर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन्, 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इंदौर
(ख) तहसील—सांवेर
(ग) नगर/ग्राम—पुर्वाडाहप्पा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.613 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162 पार्ट	0.041
169/1 पार्ट	0.142
169/2 पार्ट	0.140
195/444 पार्ट	0.030
263 पार्ट	0.040
264/2/2 पार्ट	0.073
262/457/1 पार्ट	0.178
265/3 पार्ट	0.030
279/2 पार्ट	0.053
278/1 पार्ट	0.271
278/2 पार्ट	0.130
268/1 पार्ट	0.210
269 पार्ट	0.275
कुल रकबा :	1.613

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बुढ़ीबरलाई-पुवार्डादाई-पुर्वाडाहप्पा मार्ग निर्माण प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सांवेर के कार्यालय से किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र.-38-भू-अर्जन-10- भू-अर्जन-प्र. क्र. 3-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा शासकीय/निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम का नाम—बहेगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25064 वर्ग मीटर आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं शासकीय/निजी भूमि पर स्थित संरचनाएं.

शीट क्रमांक	खसरा नम्बर	भू-खण्ड क्रमांक	डूब का रकबा (वर्गमीटर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	251 पैकि	2	252	एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
1	251 पैकि	3	385	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	251 पैकि	4	32	एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
1	251 पैकि	6	95	
1	251 पैकि	7	115	
1	251 पैकि	8	150	
1	251 पैकि	9	473	
1	251 पैकि	10	280	
1	251 पैकि	71	194	
1	251 पैकि	11	567	
1	251 पैकि	12	105	
1	251 पैकि	13	80	
1	251 पैकि	14	15	
1	251 पैकि	15	193	
1	251 पैकि	16	192	
1	251 पैकि	17	122	
1	251 पैकि	113	83	
1	251 पैकि	18	35	
1	251 पैकि	24	46	
1	251 पैकि	19	35	
1	251 पैकि	23	73	
1	251 पैकि	21	98	
1	251 पैकि	22	117	
1	251 पैकि	26	69	
1	251 पैकि	27	31	
1	251 पैकि	28	25	
1	251 पैकि	29	47	
1	251 पैकि	30	76	
1	251 पैकि	31	103	
1	251 पैकि	32	73	
1	251 पैकि	33	42	
1	251 पैकि	34	45	
1	251 पैकि	35	96	
1	251 पैकि	37	78	
1	251 पैकि	38	109	
1	251 पैकि	39	95	
1	251 पैकि	41	103	
1	251 पैकि	44	82	
1	251 पैकि	42	118	
1	251 पैकि	43	102	
1	251 पैकि	45	142	
1	251 पैकि	47	61	
1	251 पैकि	48	134	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	251 पैकि	50	60	एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
1	251 पैकि	52	30	
1	251 पैकि	51	55	
1	251 पैकि	53	48	
1	251 पैकि	61	60	
1	251 पैकि	54	395	
1	251 पैकि	55	515	
1	251 पैकि	56	120	
1	251 पैकि	57	144	
1	251 पैकि	59	82	
1	251 पैकि	60	69	
1	251 पैकि	58	191	
1	251 पैकि	62	135	
1	251 पैकि	63	184	
1	251 पैकि	64	50	
1	251 पैकि	65	170	
1	251 पैकि	70/158	13	
1	251 पैकि	70/159	30	
1	251 पैकि	70/160	46	
1	251 पैकि	70/161	46	
1	251 पैकि	72	190	
1	251 पैकि	73	181	
1	251 पैकि	74	175	
1	251 पैकि	75	188	
1	251 पैकि	76	97	
1	251 पैकि	77	46	
1	251 पैकि	78	178	
1	251 पैकि	79	156	
1	251 पैकि	80	156	
1	251 पैकि	81	116	
1	251 पैकि	82	77	
1	251 पैकि	83	12	
1	251 पैकि	84	58	
1	251 पैकि	85	64	
1	251 पैकि	86	14	
1	251 पैकि	88	230	
1	251 पैकि	89	96	
1	251 पैकि	90	128	
1	251 पैकि	92	94	
1	251 पैकि	93	100	
1	251 पैकि	94	32	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	251 पैकि	95	136	
1	251 पैकि	96	79	
1	251 पैकि	97	121	
1	251 पैकि	116	72	
1	251 पैकि	98	244	
1	251 पैकि	100	180	
1	251 पैकि	101	106	
1	251 पैकि	102	159	
1	251 पैकि	103	133	
1	251 पैकि	104	85	
1	251 पैकि	108	271	
1	251 पैकि	112	116	
1	251 पैकि	127	166	
1	251 पैकि	105	76	
1	251 पैकि	106	40	
1	251 पैकि	107	67	
1	251 पैकि	109	2	
1	251 पैकि	110	170	
1	251 पैकि	111	55	
1	251 पैकि	114	47	
1	251 पैकि	115	46	
1	251 पैकि	117	51	
1	251 पैकि	118	425	
1	251 पैकि	145	120	
1	251 पैकि	120	88	
1	251 पैकि	121	88	
1	251 पैकि	122	136	
1	251 पैकि	123	164	
1	251 पैकि	124	74	
1	251 पैकि	128	206	
1	251 पैकि	125	226	
1	251 पैकि	126	182	
1	251 पैकि	130	104	
1	251 पैकि	131	123	
1	251 पैकि	132	154	
1	251 पैकि	133	256	
1	251 पैकि	135	29	
1	251 पैकि	137	56	
1	251 पैकि	138	80	
1	251 पैकि	140	95	
1	251 पैकि	141	64	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	251 पैकि	142	33	एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
1	251 पैकि	143	91	
1	251 पैकि	144	303	
1	251 पैकि	147	84	
1	251 पैकि	151	227	
1	251 पैकि	152	401	
1	251 पैकि	153	112	
1	251 पैकि	154/162	45	
1	251 पैकि	154/163	100	
1	251 पैकि	154/164	70	
1	251 पैकि	154/165	132	
1	251 पैकि	154/166	201	
1	251 पैकि	154/167	71	
1	251 पैकि	154/168	91	
1	251 पैकि	157/169	42	
1	251 पैकि	157/170	29	
1	251 पैकि	157/171	12	
1	251 पैकि	157/172	69	
1	251 पैकि	157/173	69	
1	251 पैकि	157/174	69	
1	251 पैकि	157/175	75	
1	251 पैकि	157/176	102	
1	251 पैकि	157/177	120	
1	251 पैकि	157/178	137	
1	251 पैकि	157/179	19	
1	251 पैकि	157/180	18	
1	251 पैकि	157/181	55	
1	251 पैकि	157/182	55	
1	251 पैकि	157/183	29	
1	251 पैकि	157/184	49	
1	251 पैकि	157/185	103	
1	251 पैकि	157/186	37	
1	251 पैकि	157/187	11	
1	251 पैकि	157/188	60	
1	251 पैकि	157/201	57	
1	251 पैकि	157/189	21	
1	251 पैकि	157/190	88	
1	251 पैकि	157/191	38	
1	251 पैकि	157/193	38	
1	251 पैकि	157/192	22	
1	251 पैकि	157/194	36	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	251 पैकि	157/195	17	एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
1	251 पैकि	157/196	38	
1	251 पैकि	157/197	41	
1	251 पैकि	157/198	34	
1	251 पैकि	157/199	53	
1	251 पैकि	157/200	35	
1	251 पैकि	157/202	193	
2	190/2 पैकि	17	74	
2	190/2 पैकि	1	191	एफ.आर.एल./एम.डबल्यु. एल. के मध्य डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
2	190/2 पैकि	2	293	
2	190/2 पैकि	3	229	
2	190/2 पैकि	5	50	
2	190/2 पैकि	7	211	
2	190/2 पैकि	8/25	175	
2	190/2 पैकि	8/26	300	
2	190/2 पैकि	8/27	100	
2	190/2 पैकि	8/28	100	
2	190/2 पैकि	9	128	
2	190/2 पैकि	10	148	
2	190/2 पैकि	15	624	
2	190/2 पैकि	13	838	
2	190/2 पैकि	16/29	100	
2	190/2 पैकि	16/30	95	
2	190/2 पैकि	16/31	90	
2	302/3 पैकि	19/32	293	
2	302/3 पैकि	19/33	121	
2	302/3 पैकि	19/34	74	
2	302/3 पैकि	20	515	
2	302/3 पैकि	21	345	
2	302/3 पैकि	22	164	
2	302/3 पैकि	23	93	
2	302/3 पैकि	24	590	
	योग :	174	19197 वर्ग मी.	एफ.आर.एल. में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
	योग :	24	5867 वर्ग मी.	एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यू.एल. के. मध्य में डूब से प्रभावित आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
	महायोग :	198	25064 वर्ग मी.	

अ. क्र.	खसरा नं.	सम्पत्ति का विवरण	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	211/1	1. कुंवा पक्का	एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यु.एल. के मध्य कृषि, भूमि पर स्थित संरचनाएं भूमि को छोड़कर.
2	222	1. पशुबाड़ा	
3	228	1. पशुबाड़ा	
4	229/1	1. पशुबाड़ा	
5	231/1	1. पशुबाड़ा	
6	234	9. मकान	
7	236/1	2. मकान	
8	240	2. मकान	
9	245	1. मकान	
10	250/2	1. पशुबाड़ा	
11	253/1	9. मकान	
12	253/2	3. मकान	
13	255	2. मकान	
14	256/2,257	2. मकान	
15	259	1. पशुबाड़ा	
	योग . .	36-मकान एवं कुवा-1 कुल क्षेत्रफल 1911 वर्गमीटर पर निर्मित संरचनाएं.	

अ. क्र.	खसरा नम्बर	भूमि का मद	सम्पत्ति का विवरण	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	190/1/1/1/1/1	चरनोई	डेहरी-1, समाधी-2, मकान-13, (463 व.मी. में निर्मित) पम्पहाउस-4 (19 व.मी. में निर्मित) पाईपलाईन विद्युत डी.पी.-5 (18 व.मी.).	एफ.आर.एल./एम.डब्ल्यु.एल. के मध्य शासकीय भूमि पर स्थित संरचनाएं (भूमि को छोड़कर)
2	242	रास्ता	नाग मन्दिर-1 (10 व.मी. में निर्मित)	
3	269/1	चरनोई	मकान-24, मन्दिर-1, विद्यालय-1 (788 व.मी. में निर्मित) हेण्डपम्प-1	
4	302/1/1/1/1	चरनोई	शासकीय कुवा-1 मकान-3 (174 व.मी. में निर्मित) (कुल शासकीय भूमि क्षेत्रफल 1472 व.मी. पर स्थित संरचनाएं).	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.--महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा प्लान (1) कलेक्टर जिला खरगोन (2) भू-अर्जन अधिकारी म.ज.वि.प.मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन (3) कार्यपालन यंत्री (सिविल 1) म.ज.वि.प./म.प्र.रा.वि.म.मण्डलेश्वर.

(4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पो.लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र. 49-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010(भाग-ए).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 1-2-2010 से 5-2-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 1-2-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 1-2-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा कालाकोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है.

8. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामेग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्र. B-324-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 22 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-326-दो-3-66-2002.—श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 30 नवम्बर 2009 से 11 दिसम्बर 2009 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 से 19 दिसम्बर 2009 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 दिसम्बर 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र. A-250-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 26 दिसम्बर 2009 से 2 जनवरी 2010 तक आठ दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 2 जनवरी 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A-253-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2009 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. 56-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010 (भाग-दो).—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा विद्युत् अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत न्यायालय के सृजन के संबंध में जारी अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 6-10-2009 एवं न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति दर्शित करने वाली अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 6-10-2009 तथा संशोधन अधिसूचना दिनांक 24-12-2009 के तारतम्य में एवं मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-3-2007-तेरह दिनांक 5-7-2008 द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत 10 न्यायालयों के संदर्भ में, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, भोपाल.
2	श्री महेश भदकारिया, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल.
3	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, अष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3, ग्वालियर.
4	श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.
5	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 5, इन्दौर.

(1)	(2)	(3)
6	श्री मोहम्मद शमीम, नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 6, इन्दौर.
7	श्री श्याम कांत कुलकर्णी, ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 7, इन्दौर.
8	श्री आलोक अवस्थी, उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9, जबलपुर.
9	श्रीमती आशा गोधा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 10, सागर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
जयंत चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010

क्र. डी-347-तीन-6-2-2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्त: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्र.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती नीलम मिश्रा	दमोह	दमोह
2	श्री के. एन. अहिरवार	दमोह	दमोह
3	श्री नीरज शर्मा	हटा	दमोह
4	श्री महेश कुमार झा	दमोह	दमोह
5	श्री एस. एस. जामरा	दमोह	दमोह

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. डी-201-तीन-10-40-78 **संशोधन** (भाग 7) **शुद्धि-पत्र.**—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)," दिनांक 18 नवम्बर 2009 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-3988-तीन-10-40-78 संशोधन भाग-सात, दिनांक 7 नवम्बर 2009 में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है :—

"हिन्दी संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 1120(7) में अनुक्रमांक 27 के क्रमांक (8) में न्यायालयों की संख्या में नारायणगढ़ के सामने 1 के स्थान पर 2 पढ़ा जावे."

अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 20th January 2010

No. A-232-I-7-3-2009(Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2010 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 is hereby published for general information :—

Sr. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1.	Republic Day	26-1-2010	Tuesday
2.	Mahashivratri	12-2-2010	Friday
3.	Id-Milad-Un-Nabi	27-2-2010	Saturday
4.	Holi (Dhuredi)	1-3-2010	Monday
5.	Gudi-Padwa	16-3-2010	Tuesday
6.	Ramnavmi	24-3-2010	Wednesday

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Good Friday	2-4-2010	Friday
8.	Dr. Ambedkar Jayanti	14-4-2010	Wednesday
9.	Buddh Purnima	27-5-2010	Thursday
10.	Raksha Bandhan	24-8-2010	Tuesday
11.	Janmashtmi	2-9-2010	Thursday
12.	Gandhi Jayanti	2-10-2010	Saturday
13.	Sarvapitramoksha Amavasya	7-10-2010	Thursday
14.	Dussehra (17-10-2010)		
	Mahaashtmi	15-10-2010	Friday
	Mahanavmi	16-10-2010	Saturday
15.	Deepawali (5-11-2010)	4-11-2010	Thursday
		5-11-2010	Friday
		6-11-2010	Saturday
16.	Id-Ul-Zuha	17-11-2010	Wednesday
17.	Moharrum	17-12-2010	Friday
18.	Christmas Day	25-12-2010	Saturday

TOTAL :—21 Days

NOTES :—

1. Mahavir Jayanti dated 28-3-2010, Independence day dated 15-8-2010, Gurunanak Jayanti dated 21-11-2010 falls on Sunday & Id-Ul-Fitar & Ganesh Chaturthi dated 11-9-2010 falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 9th January, 13th February, 13th March, 10th April, 8th May, 12th June, 10th July, 14th August, 11th September, 9th October, 13th November, 11th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts.

3. Summer Vacation of Subordinate courts shall be from 24th May to 18th June 2010 and Winter Vacation from 23rd December to 31st December 2010.

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High court under intimation to this Registry.

6. The Saturday of every month (except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. D/1973/III-6-8-85 Pt-II dt. 24-6-2009.

JAYANT CHAVHAN, Registrar General.

CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH, FOR THE YEAR 2010

Days	JANUARY					FEBRUARY					MARCH				
SUN.	31	3	10	17	24		7	14	21	28		7	14	21	28
MON.		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
TUE.		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
WED.		6	13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24	31
THU.		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
FRI.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	
SAT.	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	

Days	APRIL					MAY					JUNE				
SUN.		4	11	18	25	30	2	9	16	23		6	13	20	27
MON.		5	12	19	26	31	3	10	17	24		7	14	21	28
TUE.		6	13	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29
WED.		7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30
THU.	1	8	15	22	29		6	13	20	27	3	10	17	24	
FRI.	2	9	16	23	30		7	14	21	28	4	11	18	25	
SAT.	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26	

Days	JULY					AUGUST					SEPTEMBER				
SUN.		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
MON.		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
TUE.		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
WED.		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
THU.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
FRI.	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
SAT.	3	10	17	24	31	7	14	21	28		4	11	18	25	

Days	OCTOBER					NOVEMBER					DECEMBER				
SUN.	31	3	10	17	24		7	14	21	28		5	12	19	26
MON.		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
TUE.		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
WED.		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
THU.		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
FRI.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
SAT.	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25	

O Sundays & Holidays
△ Closed Saturday
⌐¬ Vacation

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश

राजभवन—भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

संशोधन आदेश

क्र. 172-यू.ए.1-रा.स.-2010.—इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 2844-यू.ए.2-रास-2008 दिनांक 20 अगस्त 2008 के द्वारा डॉ. विजय सिंह, पूर्व संचालक, अनुसंधान सेवायें एवं अधिष्ठाता, कृषि संकाय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 18 माह की कालावधि के लिए ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (एक) में संशोधन कर प्रथम कुलपति की नियुक्ति की अवधि ''18 माह से अनधिक कालावधि के लिए'' के स्थान पर शब्द ''चार वर्ष की कालावधि के लिए'' स्थापित किया गया है.

उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में इस सचिवालय के आदेश क्र. 2844-यू.ए.2-रास-2008, दिनांक 20 अगस्त 2008 में आंशिक संशोधन कर प्रथम कुलपति का कार्यकाल 18 माह के स्थान पर 4 वर्ष पढ़ा जावे.

महामहिम कुलाधिपतिजी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया
कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
के. के. सिंह, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 18 जनवरी 2010

क्र. 218-व.लि.-1-2010.—सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जगदीश शर्मा, कलेक्टर, जिला झाबुआ वर्ष 2010 के लिये संपूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्र.	जिला	पर्व अथवा त्यौहार	दिनांक	दिन	संपूर्ण विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ संपूर्ण जिला	1. सर्व पितृ अमावस्या	7 अक्टूबर 2010	गुरुवार	संपूर्ण जिला
2		2. महाअष्टमी (दुर्गाष्टमी)	15 अक्टूबर 2010	शुक्रवार	—''—
3		3. दिपावली का दूसरा दिन	6 नवम्बर 2010	शनिवार	—''—

टीप :— (1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षायें नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.

जगदीश शर्मा, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

प्र. क्र. 5-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि चपलासिर तालाब निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—गौहरगंज

(ग) ग्राम—चपलासिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —34.75 एकड़.

ख. नं.	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
164/2	5.00	1.97	चपलासिर तालाब हेतु.
165	14.14	11.02	
166	14.34	2.87	
183	5.02	0.78	
184/1	5.00	3.58	
184/2	5.00	4.61	
169	13.94	6.70	
170/1	2.00	0.40	
182	12.79	1.12	
184/3	5.00	1.70	
कुल योग . .	82.23	34.75	

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. 01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—सेवनियां गोंड

(घ) कुल रकबा—1.00 एकड़

खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
108	1.00
योग . .	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्यटन स्थल के निर्माण हेतु म. प्र. पर्यटन विकास निगम को.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.